फा.सं. 17(2)/2016/डी(पी/पी)-वॉल्यूम-I

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

रक्षा (पेंशन/नीति)

नई दिल्ली, 110011
दिनांक 14.05.2025

सेवा में

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
थल सेना अध्यक्ष
नौसेना अध्यक्ष
वायु सेना अध्यक्ष

विषय:- महंगाई भत्ता दरें 50% तक पहुंचने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि - सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के बारे में।

महोदय,

मुझे सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय को लागू करते हुए दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अथवा कर्तव्य के निर्वहन के दौरान मृत होने वाले कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य रैंकों के संबंध में हताहत पेंशन पुरस्कारों के विषय में अधिसूचित किए गए पेंशन संबंधी पुरस्कारों सहित पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन संराशीकरण/परिवार पेंशन को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 04.09.2017 के पत्र सं. 17(02)/2016-रक्षा (पेंशन/नीति) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. पूर्वोक्त मंत्रालय के पत्र के पैरा 7.1 के अनुसार सभी प्रकार के उपदान अर्थात सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त/सेवारत/अशक्त/विशिष्ट/आवधिक/मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। जब कभी भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है तो उपदान की यह अधिकतम ऊपरी सीमा 25% तक बढ़ाई जाएगी।

3. व्यय विभाग ने उनके दिनांक 12.03.2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-ई-II(ख) द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2024 से मूल वेतन के 46% से 50% तक महँगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में अनुदेश जारी किए हैं।

4. तदनुसार, सातवें सीपीसी की सिफारिश के लागू करते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार, सभी प्रकार के उपदान की अधिकतम सीमा दिनांक 01.01.2024 से 25% तक बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये से 25.00 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है।

5. इसे इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनकी दिनांक 01.05.2025 की आईडी नोट सं. 10(03)/20217/वित्त/पेंशन द्वारा जारी किया गया है।

भवदीय

गोपाल सिंह
14.5.25
(गोपाल सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रषित:
मानक सूची के अनुसार